



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 407/मी/2-5/20

दिनांक 17.11.2020

सेवा में,

मै0 एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0 लि0,

एस बी-64, (एफ एफ), जयपुरिया सनराईज प्लाजा,
12-ए, अहिसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

विषय: मानचित्र संख्या- 65/जोन-5/2014-15 दि0 02.05.14 के समयवृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 14.11.2019 के क्रम में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप- "जयपुरिया सनराईज" के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या- जी.एच.-2, ग्राम शाहपुर बम्हटा गाजियाबाद पर स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या- 65/जोन-5/2014-15 दिनांक 02.05.14 पर तीन वर्ष की समयवृद्धि की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.02.20 को प्रदान कर दी गयी है। आपके स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 30.06.2022 तक मानी जायेगी।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

(आशीष शिवुपरी)
मुख्य नगर नियोजक



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 17/M.P./2014

दिनांक : 29-9-2014

मानचित्र संख्या : 65/जोन-5/2014-15

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0 लि0

8-सी हंसालय, 15 बाराखम्मा रोड,

नई दिल्ली।

महोदय,

आप द्वारा ग्राम-शाहपुर बम्हेटा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत आप द्वारा उपरोक्त विषयक मानचित्र पत्रावली के माध्यम से दिनांक 02.05.2014 को प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी.एच.-2 के प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 01.07.14 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28.04.2014 का पालन करना होगा।
11. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रू. 2,00,000/- की जमानत राशि, एफ.डी.आर.-808432 दिनांक 14.08.14 जमा करायी गयी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।